न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

कमांक– ...1054 **शिवपुरी दिनांक–27.10.2026**

–:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::–

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी रिमांड ड्यूटी आदेश कमांक 997, दिनांक 05.10.2026, जिला मुख्यालय शिवपुरी हेतु सार्वजनिक अवकाश दिनांक 01.11.2026 एवं 06.11.2026 के संबंध में निरस्त किया जाकर, उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूं :–

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1.	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	शिवपुरी	01-11-2026 06-11-2026

नोट :– शेष आदेश यथावत रहेगा।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

पृष्ठांकन क्र0 ...1050..... शिवपुरी, दिनांक 27.10.2026

प्रतिलिपि :–(ईमेल–मेसेज द्वारा)

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बाबत्।
04. निज सहायक, न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.